

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त 2016—भाद्र 4, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2016

क्र. एफ-1 (ए) 186-91-ब-2-दो.—श्री अजय शर्मा, भापुसे महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 10 से 18 सितम्बर 2016 तक आकस्मिक अवकाश की अवधि में सपरिवार गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा के तहत खण्ड वर्ष 2014-17 के पार्ट वर्ष 2015-16 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ नैनीताल (उत्तराखंड) जाने की अवकाश यात्रा सुविधा एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री अजय कुमार शर्मा	—	स्वयं
2.	श्रीमती मोनिका शर्मा	—	पत्नी
3.	कु. ऐश्वर्या शर्मा	—	पुत्री
4.	आदित्य शर्मा	—	पुत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्र. एफ-1 (ए)-23-2015-ब-2-दो.—(1) श्री कुमार प्रतीक, भापुसे, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बीना, जिला सागर वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर (पूर्व) ग्वालियर की अस्वस्थता के कारण दिनांक 4 अगस्त से 6 सितम्बर 2016 तक, चौतीस दिवस लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 68 दिवस का अर्द्धवेतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री कुमार प्रतीक, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुमार प्रतीक, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1 (ए)-76-2011-ब-2-दो-संशोधन.—राज्य शासन द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जून 2016 द्वारा श्री पी. एस. विष्ट, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, गुना को पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 9 जून 2016 द्वारा स्वीकृत दिनांक 20 से 29 जून 2016 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 18 एवं 19 जून 2016 के विज्ञप्त अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2014-17 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2016-17 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत सपरिवार पौढ़ी गढ़वाल (उत्तराखंड) जाने की अनुमति प्रदान की गई थी।

(2) उक्त अनुसार यात्रा अवधि में श्री पी. एस. विष्ट, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही उनके अर्जित अवकाश खाते से 10 दिन घटाये जायेंगे।

क्र. एफ-1 (ए)-119-2011-ब-2-दो.—(1) श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल, जबलपुर रेंज को दिनांक 13 से 24 जून 2016 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश की उपभोग पश्चात् कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल, जबलपुर रेंज के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2016

क्र. एफ-1-40-2016-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27 मई 2015 द्वारा मो. शाहिद अबसार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को आवश्यक कार्य से यू. के. की निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 2 से 28 मई 2016 तक, सत्ताईस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 1 एवं 29 मई 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए (एक्स-इण्डिया लीव्ह) एवं निजी विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की गई थी।

(2) मो. शाहिद अबसार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा स्वीकृत अवकाश का लाभ न लेने के कारण (Ex India Leave) एवं विदेश यात्रा की अनुमति निरस्त की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्री दास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2016

पंजी क्र. 2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री डी. सी. जैन, नोटरी, जिला-राजगढ़ को दिनांक 2 फरवरी 2013, श्री उदित नारायण सक्सेना, नोटरी, जिला-राजगढ़ को दिनांक 23 मार्च 2009, श्री रामचन्द्र वर्मा, नोटरी, तहसील-सारंगपुर, जिला-राजगढ़ को दिनांक 22 अक्टूबर 2015 से नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 के नियम 10 (च) के अधीन उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री रामगोपाल वर्मा, नोटरी, जिला-बैतूल को दिनांक 21 जून 2015, श्री जी. एस. गुप्ता, नोटरी, तहसील-शाहपुर, जिला-बैतूल को दिनांक 18 अप्रैल 2015 से नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 के नियम 10 (च) के अधीन उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री के. एस. चौहान, नोटरी, जिला-छिन्दवाड़ा, को दिनांक 12 नवम्बर 2014,

श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, नोटरी, जिला-छिन्दवाड़ा को दिनांक 6 अक्टूबर 2010 से नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 के नियम 10 (च) के अधीन उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री गिरीश चंद्र गुप्ता, नोटरी, जिला-शिवपुरी, को दिनांक 22 अप्रैल 2010 से नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 के नियम 10 (च) के अधीन उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री फतेह उल्ला खान, नोटरी, जिला-भोपाल को दिनांक 25 फरवरी 2009, श्री शमीमउदीन, नोटरी, जिला-भोपाल को दिनांक 10 फरवरी 2011, श्री नंद कुमार मिश्रा, नोटरी, जिला-भोपाल को दिनांक 27 फरवरी 2015 एवं श्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी, नोटरी, जिला-भोपाल को दिनांक 24 मार्च 2010, श्रीमती मधुसरन श्रीवास्तव, नोटरी, जिला-भोपाल को दिनांक 20 जनवरी 2014, श्री बाधुमल नरसिंघानी, नोटरी, जिला भोपाल को दिनांक 28 नवम्बर 2014, श्री सईदुल्ला कुरैशी, नोटरी, तहसील-बैरसिया, जिला भोपाल को दिनांक 13 जुलाई 2013 से नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 के नियम 10 (च) के अधीन उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री राधाचरण पाराशर, नोटरी जिला-भिण्ड, को दिनांक 27 मई 2013, श्री महेश भदौरिया, नोटरी, तहसील अटेर, जिला भिण्ड को दिनांक 16 जनवरी 2015 एवं श्री महेन्द्र सिंह राठौर, नोटरी, तहसील-लहार, जिला भिण्ड को दिनांक 24 अप्रैल 2014 से नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 के नियम 10 (च) के अधीन उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री रामाधार मिश्रा, तहसील-बिजावर, जिला छतरपुर को दिनांक 13 मार्च 2011 से नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 के नियम 10 (च) के अधीन उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री विमलचंद जैन, नोटरी, जिला-बड़वानी को दिनांक 9 दिसम्बर 2014 से नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 के नियम 10 (च) के अधीन उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री बाबूलाल भटनागर, नोटरी, तहसील-जावरा, जिला रतलाम को दिनांक 12 अप्रैल 2011 से नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 के नियम 10 (च) के अधीन उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री के. के. श्रीवास्तव, नोटरी, तहसील-उदयपुरा, जिला रायसेन को दिनांक 29 मार्च 2015 से नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 के नियम 10 (च) के अधीन उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री के. के. नायक, नोटरी, जिला-पन्ना को दिनांक 30 जुलाई 2015 से नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 के नियम 10 (च) के अधीन उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री एस. एन. मिश्रा, नोटरी, तहसील-निवास, जिला-मंडला को दिनांक 16 जून 2015 से नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 के नियम 10 (च) के अधीन उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री सैयद अब्दुल समद, नोटरी, तहसील-सोहागपुर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 23 मार्च 2015 से नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 के नियम 10 (च) के अधीन उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री राजेन्द्र सिंह रघुवंशी, नोटरी, जिला-गुना को दिनांक 1 फरवरी 2015 से नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 के नियम 10 (च) के अधीन उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री सुशील कु. पटेल, नोटरी, तहसील-पंधाना, जिला खण्डवा को दिनांक 4 फरवरी 2015 से नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 के नियम 10 (च) के अधीन उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री सुरेश जलोदिया, नोटरी, जिला-धार को दिनांक 2 अक्टूबर 2015 से नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 के नियम 10 (च) के अधीन उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

पंजी क्र. 2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री शिवराम सिंह यादव, नोटरी, तहसील-खांतेगांव, जिला देवास को दिनांक 1 नवम्बर 2015 से नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 के नियम 10 (च) के अधीन उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

पंजी क्र. 2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री वीरेन्द्र कुमार जैन, नोटरी, जिला-टीकमगढ़ को दिनांक 15 दिसम्बर 2015 से नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 के नियम 10 (च) के अधीन उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

पंजी क्र. 2-2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी, नोटरी, तहसील-आष्टा, जिला-सीहोर को दिनांक 14 दिसम्बर 2015 से नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 के नियम 10 (च) के अधीन उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

पंजी क्र. 2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री प्रेमनारायण रावल, नोटरी जिला-उज्जैन, को दिनांक 29 जून 2015, श्री सत्यनारायण बंसल, नोटरी, जिला उज्जैन को दिनांक 26 फरवरी 2008, श्री बाबूलाल गुप्ता, नोटरी, जिला-उज्जैन को दिनांक 30 दिसम्बर 2014 एवं श्रीमती पुष्पलता शर्मा, नोटरी, जिला-उज्जैन को दिनांक 29 जून 2008, श्री वीरेन्द्र कोठारी, नोटरी, जिला-उज्जैन को दिनांक 28 दिसम्बर 2010 से नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 के नियम 10 (च) के अधीन उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2016

क्र. एफ-11-28-2016-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव, मध्यप्रदेश एन्थ्रोपॉलॉजीकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	गुना	चाँचोड़ा	चम्पावती किला	प्राचीन किला	174	1.317 आबादी किला नजूल 1.317	शासकीय	नहीं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, सचिव.

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2016

क्र. एफ 3-13-2010-छत्तीस.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2016 द्वारा श्री ओ. पी. सक्सेना, संयुक्त संचालक, मत्स्योद्योग, भोपाल को संचालक, मत्स्योद्योग के समकक्ष पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 37,400—67000+ग्रेड पे 8900 में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत करते हुए उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रतिनियुक्ति पर मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित, भोपाल के पद पर पदस्थ किया गया है।

(2) श्री यू. के. पुरोहित, संचालक, मत्स्योद्योग भोपाल को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31 जुलाई 2016 को सेवानिवृत्त किया गया है, जिस कारण संचालक, मत्स्योद्योग का पद रिक्त हो गया है। अतः संचालक, मत्स्योद्योग के समकक्ष प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ श्री ओ. पी. सक्सेना, मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ सहकारी मर्यादित, भोपाल को अपने कार्य के साथ-साथ उक्त रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य संपादित करने हेतु आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से अधिकृत किया जाता है।

कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्र. एफ 8-7-2011-पचास-1.—केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के नियम 3 (iv) में निहित प्रावधानों के तहत राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को पुनर्गठित करते हुए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा दिये गये अनुमोदन के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती पद्मा शुक्ला, महिला सामाजिक कार्यकर्ता, निवासी लाल नगर, पो. बम्हनगवां, केमौर तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी, मध्यप्रदेश को अधिसूचना जारी होने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, भोपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

(2) अध्यक्ष का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष तक के लिये होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

बरेली, दिनांक 5 अगस्त 2016

पृ. क्र.-4469-भू-अर्जन-16-प्र क्र. 7-अ-82-2015-16.—चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2-2014 सात 2ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमि धारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई

आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा:—

ग्राम का नाम—उटियाकलां, तहसील—बरेली

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	उटियाकलां	शंकर सिंह आ. सियाराम, जाति धोबी, नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	490/1/1	0.243	0.036	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन.	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की छातैर उप नहर हेतु.
2	उटियाकलां	शालकराम आ. सियाराम, जाति धोबी, नि. ग्राम. भूमिस्वामी.	490/1/2	0.323	0.036		
3	उटियाकलां	सीतावाई वि. श्यामविहारी संध्यावाई आ. श्यामविहारी, जाति रघुवंशी, नि. ग्राम. भूमिस्वामी.	502/4	4.047	0.290		
4	उटियाकलां	मुरारीलाल आ. जुगराजसिंह, जाति रघुवंशी, नि. ग्राम. भूमिस्वामी.	502/2	2.023	0.068		
5	उटियाकलां	बाकेविहारी आ. जुगराजसिंह, जाति रघुवंशी नि. ग्राम. भूमिस्वामी.	502/3	3.897	0.313		
6	उटियाकलां	बृजेन्द्र आ. राधाबल्लभ, जाति रघुवंशी, नि. ग्राम. भूमिस्वामी.	501/1	4.404	0.149		
7	उटियाकलां	आशीष मनीष रतनीश आ. बृजेशकुमार, अंजनादेवी पु. बृजेश कुमार उषावाई पत्नि बृजेशकुमार, जाति रघुवंशी, नि. ग्राम. भूमिस्वामी.	500/2	4.856	0.305		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	उटियाकलां	गजेन्द्रसिंह आ. सुरेशकुमार, जाति रघुवंशी, नि. ग्राम. भूमिस्वामी.	500/6	1.214	0.045		
9	उटियाकलां	विशाखाबाई बेवा सुरेशकुमार जाति रघुवंशी, नि. ग्राम. भूमिस्वामी.	500/1/2	2.833	0.348		
10	उटियाकलां	हनुमतसिंह जीवनसिंह आ. प्रेमनारायण, जाति किरार, नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	522/1 522/5	1.133 0.284	0.078 0.078		
11	उटियाकलां	हरगोविन्द आ. मारू, जाति धोबी, नि.ग्रा. भूमिस्वामी.	522/2	0.943	0.086		
12	उटियाकलां	बृजकिशोर आ. मुरारीलाल, जाति महेश्वरी, नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	523	2.068	0.171		
13	उटियाकलां	शान्तिबाई पुत्री छोटेलाल बाल मुकुन्द आ. छोटेलाल, जाति महेश्वरी, नि. ग्रा भूमिस्वामी.	524	2.068	0.162		
14	उटियाकलां	भूरीबाई पत्नि धन्नूलाल सुमनबाई पत्नि दौलतसिंह, जाति किरार, नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	525/1/1	2.023	0.105		
15	उटियाकलां	नंदनसिंह आ. धन्नू, जाति किरार, नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	527/1	0.849	0.089		
16	उटियाकलां	धर्मदास आ. नाथूराम, जाति किरार, नि.ग्रा. भूमिस्वामी.	528/1	1.295	0.074		
17	उटियाकलां	दौलतसिंह आ. नाथूराम, जाति किरार, नि. ग्रा भूमिस्वामी.	528/2	1.295	0.069		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18	उटियाकलां	रामगोपाल आ. भवानी किरार, निवासी भूमिस्वामी.	610/2	1.619	0.003		
19	उटियाकलां	परसादोबाई पु. नाथूराम जाति, किरार, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	623	1.311	0.157		
20	उटियाकलां	चौखेलाल आ. नाथूराम, जाति किरार, नि.ग्राम भूमिस्वामी.	622/3 622/5	0.121 0.694	0.002 0.036		
21	उटियाकलां	हाकमसिंह आ. चौखेलाल, जाति किरार, नि.ग्रा. भूमिस्वामी.	611/3	1.619	0.229		
22	उटियाकलां	योगेन्द्रसिंह आ. रघुराजसिंह, जाति रघुवंशी, नि.ग्रा. भूमिस्वामी.	612/1	6.070	0.607		
23	उटियाकलां	प्रदीप आ. रमेशचंद, जाति शर्मा, नि.ग्रा. बरेली भूमिस्वामी.	591/2/1	1.821	0.335		
24	उटियाकलां	रतनलाल आ. कोमलसिंह, जाति किरार, नि.ग्रा. भूमिस्वामी.	592/1	0.971	0.175		
25	उटियाकलां	दलपतसिंह आ. धनसिंह, जाति किरार, नि.ग्रा. भूमिस्वामी.	590/4	1.368	0.002		
26	उटियाकलां	शंकरसिंह आ. रघुवरसिंह, जाति किरार, नि.ग्रा. भूमिस्वामी.	593	0.850	0.186		
27	उटियाकलां	पंचू आ. वंशीलाल, जाति किरार, नि.ग्रा. भूमिस्वामी.	594/1	1.051	0.192		
28	उटियाकलां	चुन्नीलाल आ. वंशीलाल, जाति किरार, नि.ग्रा. भूमिस्वामी.	594/2	1.130	0.052		
योग . .					4.476		

ओ. पी. सोनी, सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 8 अगस्त 2016

क्र. 2289-भू-अर्जन-2016.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में, आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दत्तनी नहर परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

ग्राम का नाम—बिच्छाखेड़ी, तहसील—कन्नौद, जिला—देवास, कुल प्रस्ताव—01

क्र.	संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	सर्वे क्रमांक	अर्जन किये जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कृषि भूमि	श्री प्रेमनारायण पिता शिवनारायण देशवाली	226	0.224

कुल सर्वे नम्बर 01, कुल प्रस्ताव 01

- (1) उपरोक्त कृषकों की भूमि दत्तनी नहर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बिच्छाखेड़ी की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2296-भू-अर्जन-2016.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में, आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दत्तनी नहर परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

ग्राम का नाम—गुडबेल, तहसील—कन्नौद, जिला—देवास, कुल प्रस्ताव—01

क्र.	संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	सर्वे क्रमांक	अर्जन किये जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कृषि भूमि	श्री शब्बीर पिता करीम खां फकीर	268/1	0.174

कुल सर्वे नम्बर 01, कुल प्रस्ताव 01

- (1) उपरोक्त कृषकों की भूमि दत्तनी नहर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम गुडबेल की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2302-भू-अर्जन-2016.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में, आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी नहर परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

ग्राम का नाम—पांगरा, तहसील—कन्नौद, जिला—देवास, कुल प्रस्ताव—01

क्र.	संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	सर्वे क्रमांक	अर्जन किये जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कृषि भूमि	श्री कैलाश पिता भोग्या बारेला	37/1/1	0.0765

कुल सर्वे नम्बर 01, कुल प्रस्ताव 01

- (1) उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी नहर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम पांगरा की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2307-भू-अर्जन-2016.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में, आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी नहर परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

ग्राम का नाम—बागनखेड़ा, तहसील—कन्नौद, जिला देवास—कुल प्रस्ताव—01

क्र.	संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	सर्वे क्रमांक	अर्जन किये जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कृषि भूमि	श्री कन्हैयालाल पिता रामा गुर्जर	26	0.076

कुल सर्वे नम्बर 01, कुल प्रस्ताव 01

- (1) उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी नहर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बागनखेड़ा की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2313-भू-अर्जन-2016.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में, आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी नहर परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

ग्राम का नाम—डोकाकुई, तहसील—कन्नौद, जिला—देवास, कुल प्रस्ताव—01

क्र.	संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	सर्वे क्रमांक	अर्जन किये जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कृषि भूमि	श्री बदरूद्दीन पिता घुड़ू खां मेवाती	387	0.072

कुल सर्वे नम्बर 01, कुल प्रस्ताव 01

- (1) उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी नहर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम डोकाकुई की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 अगस्त 2016

रा. प्र. क्र.-09-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन-2016.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत अम्बाखापा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में अम्बाखापा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम अम्बाखापा, प. ह. नं.-24/11, ब. न.-13, रा. नि. मं.-सौंसर.	1. मोहनलाल पिता हरिचन्द पवार निवासी अम्बाखापा भूमिस्वामी. 2. रतन पिता नानकराम पवार निवासी अम्बाखापा भूमिस्वामी.	336 371	0.052 0.096	अम्बाखापा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			3. चन्द्रशेखर सूर्यभान, ना.बा. पिता शेषराव पा.मा. सुशीला वो. मु. सुशीला विधवा शेषराव पराडकर पवार निवासी- पंधराखेड़ी भूमिस्वामी.	377 11/1	0.072 0.043	
			4. किसना पिता सुरतराम पवार निवासी-पंधराखेड़ी भूमिस्वामी.	249/1	0.076	
			5. प्रेमलाल पिता लक्ष्मण पवार निवासी-पंधराखेड़ी भूमिस्वामी.	364/1	0.033	
			6. उकंड्या पिता राजेराम निवासी-अम्बाखापा भूमिस्वामी.	243/1	0.092	
			7. तुलाराम पिता लक्ष्मण राव निवासी-अम्बाखापा भूमिस्वामी.	347/1	0.096	
			8. चिन्धा पिता नारायण पवार निवासी पंधराखेड़ी भूमिस्वामी.	37/2	0.096	(पूर्व में अर्जित)
			9. सुन्दर पिता टिल्लू दिनकर पवार निवासी पंधराखेड़ी भूमिस्वामी.	177/2	0.070	(पूर्व में अर्जित)
				कुल योग . .	<u>0.560</u>	

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 अगस्त 2016

क्र. 1269.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व
प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)
(1)
ग्राम कुम्हडी, प. ह. नं. 15 से पृथक् किया
गया क्षेत्रफल-354.202 हेक्टेयर.

राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
(2)
ग्राम-कुम्हडीखेडा, प. ह. नं. 15

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, विंध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मई 2016

क्र. सह.अधि.-स्था.-16-142.—माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा वर्ष 2016 में दिनांक 16 मई 2016 से 10 जून 2016 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया है. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, अधिवक्ता संघ ने अनुरोध किया है कि अधिकरण में 23 मई 2016 से 06 जून 2106 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जावें, ताकि अधिवक्तागण को भी उक्त अवधि के अवकाश का लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हो सके.

अतः उक्त के अनुक्रम में अधिकरण में दिनांक 23 मई 2016 से 6 जून 2016 तक का न्यायालयीन ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाता है. इस अवधि में न्यायालयीन कार्य बंद रहेगा.

तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा.

रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कलेक्टर., जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 8 अगस्त 2016

भाग 3 (1) विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

क्र. बंधक श्रमिक-2016-685.—बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति अधिनियम, 1976 की धारा 13(2) के प्रावधान के अन्तर्गत बंधक श्रमिक के कल्याण हेतु निम्नानुसार “जिला स्तरीय सतर्कता समिति बुरहानपुर” का गठन किया जाता है. “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने की तिथि से गठित समिति का कार्यकाल 02 (दो) वर्ष का होगा:—

जिला सतर्कता समिति-जिला-बुरहानपुर

[धारा 13 (2) अनुसार]

क.	—	अध्यक्ष	—	कलेक्टर, बुरहानपुर (मध्यप्रदेश)
ख	—	तीन सदस्य ग्रामीण विकास से संबंधित जिनका राज्य शासन द्वारा नाम निर्देशित किया गया है.	—	(1) पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर. (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बुरहानपुर (3) सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, बुरहानपुर.
ग	—	दो सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता व बुरहानपुर जिला निवासी हैं. (एक महिला सदस्य).	—	(1) श्री दिलीप रामचंद्र दिवेकर, नि. शिवाजी नगर लालबाग, बुरहानपुर. (2) श्रीमती आशा शुक्ला, नि. नेपानगर, जिला बुरहानपुर.
घ	—	तीन सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं व बुरहानपुर जिले में निवासी हैं (एक महिला सदस्य).	—	(1) श्री गोविन्द बर्डे, नि. ग्राम अंबा, जिला बुरहानपुर (2) श्री ईश्वर चौहान (अजा) नि. आलमगंज वार्ड, बुरहानपुर. (3) कु. पूजा राजेन्द्र दादू, (अजा) नि. ग्राम कान्हापुर, जिला बुरहानपुर.
ङ	—	एक जो जिले में वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है.	—	(1) प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, बुरहानपुर.

बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति अधिनियम, 1976 की धारा 13(3) के प्रावधान के अन्तर्गत बंधक श्रमिक के कल्याण हेतु निम्नानुसार "अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति" बुरहानपुर एवं नेपानगर जिला बुरहानपुर का गठन किया जाता है. "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित हो होने की तिथि से गठित समिति का कार्यकाल 02 (दो) वर्ष का होगा:—

अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति बुरहानपुर-जिला-बुरहानपुर
[धारा 13 (3) अनुसार]

क.	—	अध्यक्ष	—	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बुरहानपुर (मध्यप्रदेश)
ख	—	तीन सदस्य ग्रामीण विकास से संबंधित जिनका राज्य शासन द्वारा नाम निर्देशित किया गया है.	—	(1) नगर पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर. (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बुरहानपुर मध्यप्रदेश. (3) वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि अनुविभाग, बुरहानपुर.
ग	—	दो सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता व बुरहानपुर जिला निवासी हैं (एक महिला सदस्य).	—	(1) श्री गणेश बक्षु महाजन, नि. मालीवाड़ा वार्ड बुरहानपुर. (2) श्रीमती वसंताबाई समाधान पाटिल, नि. महाजनापेठ वार्ड बुरहानपुर.
घ	—	तीन सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं व बुरहानपुर जिले के निवासी हैं (एक महिला सदस्य).	—	(1) श्री मनमोहन ओंकार, नि. ग्राम दाहिन्दा, जिला बुरहानपुर. (2) श्री अशोक कुरील, (अजा) नि. अंडा बाजार, बुरहानपुर. (3) श्रीमती सरोज मंगल, (अजजा), नि. ग्राम तुकईथड़ जिला बुरहानपुर.
ङ	—	एक अधिकारी जिसे धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हों.	—	(1) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग बुरहानपुर.
च	—	एक सदस्य जो अनुविभाग के वित्तीय एवं प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है.	—	(1) प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, बुरहानपुर

अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति नेपानगर-जिला-बुरहानपुर
[धारा 13 (3) अनुसार]

क.	—	अध्यक्ष	—	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नेपानगर, जिला बुरहानपुर (मध्यप्रदेश).
ख	—	तीन सदस्य ग्रामीण विकास से संबंधित जिनका राज्य शासन द्वारा नाम निर्देशित किया गया है.	—	(1) अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), नेपानगर त. नेपानगर. जिला बुरहानपुर. (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, खकनार (मध्यप्रदेश). (3) वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, खकनार, जिला बुरहानपुर.

ग	—	दो सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता व बुरहानपुर जिला निवासी हैं. (एक महिला सदस्य).	—	(1) श्री संजय विजयवर्गीय, नि. नेपानगर, जिला बुरहानपुर. (2) श्रीमती ज्योति आखरे, नि. नेपानगर, जिला बुरहानपुर.
घ	—	तीन सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं व बुरहानपुर जिले के निवासी हैं. (एक महिला सदस्य).	—	(1) श्री नरेश किसन पालवी, (अजजा) नि. ग्राम सिंधखेड़ा जिला बुरहानपुर. (2) श्री प्रविण काटकर, नि. नेपानगर, जिला बुरहानपुर (3) श्रीमती लता अशोक अत्तरदे, नि. एकतानगर, नेपानगर, जिला बुरहानपुर.
ङ	—	एक अधिकारी जिसे धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हों.	—	(1) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नेपानगर, जिला बुरहानपुर (मध्यप्रदेश).
च	—	एक सदस्य जो अनुविभाग के वित्तीय एवं प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है.	—	(1) प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, खकनार.

जे. पी. आईरीन सिंथिया, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी निर्वाचन), जिला मंडसौर, मध्यप्रदेश

मन्दसौर, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्र. 1508-मण्डी उप निर्वा.-2016.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, पिपलिया जिला मन्दसौर के वार्ड क्रमांक 07 के उपनिर्वाचन 2016 में निम्नानुसार प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

क्रमांक	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती शांतिबाई	कृषक सदस्य	तलावपिपलिया, तहसील-मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर

स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश

आगर-मालवा, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्र. 2016-निर्वा.-466.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, सुसनेर, जिला आगर-मालवा के वार्ड क्रमांक 06 के उपनिर्वाचन 2016 में निम्नानुसार कृषक सदस्य प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं, जो निर्वाचित सदस्य की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित किया जाना है:—

क्रमांक	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती जोरावर बाई पति नाथूसिंह	कृषक सदस्य	ग्राम नाहरखेड़ा, तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा.

डी. व्ही. सिंह, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्र. क्यू-निर्वा.-25-06-34-2016-1091.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति 123-डबरा, जिला ग्वालियर के लिए निम्नानुसार सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

क्रमांक (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए (3)	पता (4)	निर्वाचन क्षेत्र क्र. (5)
1	श्री रामू मांझी पुत्र श्री रघुवीर सिंह	कृषक सदस्य	ग्राम भैंसनारी, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर.	वार्ड क्र. 123/10
2	श्री दिनेश गोयल पुत्र श्री गोपाल गोयल.	व्यापारी सदस्य	गीता टॉकीज चौराहा सुभाषगंज, डबरा, जिला ग्वालियर.	—

संजय गोयल, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

कार्यालय, वाणिज्यिक कर आयुक्त, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 16 अगस्त 2016

क्र. 48-2015-4-ई-बारह-377.—वाणिज्यिक विभाग द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यपालिक अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 28 जुलाई 2016 को प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (केवल नियमों की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	पदनाम (3)	रिमार्क (4)
1	सुश्री सुंमनलता मरावी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सश्रेय
2	सुश्री शशिकान्त केशरी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सश्रेय
3	सुश्री दीपा नरवरिया	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सश्रेय
4	श्री अभिषेक खरे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सश्रेय
5	सुश्री प्रियम माहेश्वरी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सश्रेय
6	श्रीमती निशांकी सिंघई	वाणिज्यिक कर अधिकारी	
7	श्री राजीव परिहार	वाणिज्यिक कर अधिकारी	
8	श्रीमती मोनिका अलावा	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	सश्रेय
9	श्रीमती अमृता चौकसे	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	सश्रेय
10	श्री सुपेश कुमार जैन	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	सश्रेय
11	श्री अनुप सिंह भदौरिया	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
12	श्री रमेश भास्कले	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
13	सुश्री छाया गवली	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
14	श्री प्रहलाद सिंह दांगी	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
15	श्री शांति भूषण त्रिपाठी	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
16	श्रीमती सुनंदा दुबे	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
17	श्री अंकित भसीन	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
18	सुश्री शायरा खान	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
19	श्री अरूण कुमार कैन	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
20	श्री विष्णु प्रसाद यादव	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	

(1)	(2)	(3)	(4)
21	श्री रामवीर सिंह राजपूत	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
22	श्री अतुल सिंह भदौरिया	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
23	श्रीमती नीतु दीवान गुबरेले	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
24	श्री प्रशान्त अरजरिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
25	सुश्री ज्योति वर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
26	सुश्री रजना सोनी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
27	श्री रामपाल त्रिपाठी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
28	श्री महेन्द्र चन्देरिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
29	श्री मुकेश शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
30	श्री विजय कुमार द्विवेदी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
31	श्री रवि शाक्य	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
32	श्री प्रदीप भदौरिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
33	श्री आत्माराम मण्डलोई	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
34	श्रीमती अंजली मिश्रा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
35	श्री जितेन्द्र ठाकुर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
36	श्रीमती रीना दुबे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
37	श्रीमती ममता शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
38	श्री सतीश धाकड	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
39	सुश्री स्मिता राठौर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
40	श्रीमती नीता नायडू	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
41	श्रीमती समिता मुराडिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
42	श्री अरविंद सिंह दिवाकर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
43	सुश्री वीना गुप्ता	कराधान सहायक	
44	श्री मुकेश कुमार टांक	कराधान सहायक	
45	सुश्री कल्याणी सिसोदिया	कराधान सहायक	
46	श्री विजय रघुवंशी	कराधान सहायक	
47	सुश्री नीलम गणावा	कराधान सहायक	
48	श्री रिषी ठाकुर	कराधान सहायक	
49	सुश्री दीप्ती केशरवानी	कराधान सहायक	
50	सुश्री शमशाद बानों	कराधान सहायक	
51	श्री आकाश दीप शिवहरे	कराधान सहायक	
52	श्री विरेन्द्र सिंह सोलंकी	कराधान सहायक	
53	श्री जेनुलउद्दीन शेख जिलानी	कराधान सहायक	
54	श्री हरेन्द्र कुमार डागर	कराधान सहायक	
55	सुश्री ग्रीष्मा पंवार	कराधान सहायक	
56	श्री निर्मल दोयदा	कराधान सहायक	

निम्नस्तर

57	सुश्री तनुजा मालवीय	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
58	कु. पुनम परिहार	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
59	श्रीमती पार्वती कनेश	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
60	श्री मोहन सिंह जवार	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
61	सुश्री चित्रांशी डामोर	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	

(1)	(2)	(3)	(4)
62	श्री अशोक कुमार गौतम	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
63	श्रीमती किरण यादव	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
64	श्री संजीव चौहान	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
65	सुश्री सरिता उइके	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
66	श्री सुनील यादव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
67	श्री महेश खाण्डेकर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
68	सुश्री शिवांगी दाहिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
69	श्री भोलाराम बामने	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
70	श्री अविनाश बारिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
71	श्री चंदरसिंह जामोद	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
72	श्री नरेन्द्र मिश्रवार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
73	श्रीमती मीनाक्षी मण्डलोई	कराधान सहायक	
74	श्री अमित कादयान	कराधान सहायक	
75	श्री अनिल जेठवानी	कराधान सहायक	
76	श्री नरेन्द्र कुमार कोरी	कराधान सहायक	
77	श्री कृष्ण कुमार	कराधान सहायक	
78	श्री सुनील छलोत्रे	कराधान सहायक	
79	कु. स्वीटी पराते	कराधान सहायक	
80	श्री उपेन्द्र वर्मा	कराधान सहायक	
81	श्री प्रणय शंकर पंड्या	कराधान सहायक	
82	श्री भीमसिंग मसानिया	कराधान सहायक	
83	श्री फरजान साहिल खान	कराधान सहायक	
84	श्री तरूण जैन	कराधान सहायक	
85	श्रीमती सुनीता राठौर	कराधान सहायक	
86	श्री सरगुन कुमार परतेती	कराधान सहायक	
87	श्री रामसेवक मीणा	कराधान सहायक	

क्र. 48-2015-4-ई-बारह-378.—वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यपालिक अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जुलाई 2016 को प्रश्न पत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया (केवल नियमों की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	पदनाम (3)	रिमांक (4)
उच्चस्तर			
1	सुश्री सुमनलता मरावी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	
2	श्री राजीव परिहार	वाणिज्यिक कर अधिकारी	
3	श्री रूपेश कुमार जैन	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
4	श्री विष्णु प्रसाद यादव	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
5	श्रीमती पार्वती कनेश	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
6	श्री शांति भूषण त्रिपाठी	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
7	सुश्री छाया गवली	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	
8	सुश्री रंजना सोनी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	
9	श्रीमती रीना दुबे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	
10	श्रीमती अंजली मिश्रा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	
11	श्री महेश खाण्डेकर	वाणिज्यिक कर अधिकारी	

(1)	(2)	(3)	(4)
12	श्रीमती नीता नायडू	वाणिज्यिक कर अधिकारी	
13	सुश्री स्मिता राठौर	वाणिज्यिक कर अधिकारी	
14	सुश्री शिवांगी दाहिया	वाणिज्यिक कर अधिकारी	
15	श्री नरेन्द्र मिश्वार	वाणिज्यिक कर अधिकारी	
16	श्री अरविंद सिंह दिवाकर	वाणिज्यिक कर अधिकारी	
17	सुश्री वीना गुप्ता	कराधान सहायक	

निम्नस्तर

18	श्रीमती किरण यादव	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
19	सुश्री सरिता उइके	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
20	श्री भोलाराम बामने	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
21	श्रीमती ममता शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
22	श्री सुनील यादव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
23	सुश्री ज्योति वर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
24	श्री अनिल जेठवानी	कराधान सहायक
25	श्री उपेन्द्र वर्मा	कराधान सहायक
26	श्री प्रणय शंकर पंड्या	कराधान सहायक
27	सुश्री शमशाद बानों	कराधान सहायक
28	श्री रिषी ठाकुर	कराधान सहायक
29	श्री तरूण जैन	कराधान सहायक
30	श्री सरगुन कुमार परतेती	कराधान सहायक
31	श्री विरेन्द्र सिंह सोलंकी	कराधान सहायक

इन्दौर, दिनांक 17 अगस्त 2016

क्र. 48-2015-4-ई-बारह-380.—राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 28 जुलाई 2016 को प्रश्न पत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (केवल नियमों की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	पदनाम (3)	रिमार्क (4)
----------------	-----------------------	--------------	----------------

उच्चस्तर

1	श्री सरगुन कुमार परतेती	कराधान सहायक
---	-------------------------	--------------

निम्नस्तर

2	श्री रूपेश कुमार जैन	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
3	श्री शांति भूषण त्रिपाठी	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
4	सुश्री छाया गवली	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
5	श्री अशोक कुमार गौतम	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
6	श्री नरेन्द्र मिश्वार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
7	सुश्री सुमनलता मरावी	वाणिज्यिक कर अधिकारी
8	सुश्री स्मिता राठौर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
9	श्री भोलाराम बामने	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
10	सुश्री रंजना सोनी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
11	श्रीमती ममता शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(4)
12	सुश्री शिवांगी दाहिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
13	सुश्री ज्योति वर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
14	श्री अरविंद सिंह दिवाकर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
15	श्रीमती अंजली मिश्रा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
16	श्री सुनील यादव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
17	श्रीमती रीना दुबे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
18	श्री महेश खाण्डेकर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
19	श्री आत्माराम मण्डलोई	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
20	श्री रिषी ठाकुर	कराधान सहायक	
21	सुश्री वीना गुप्ता	कराधान सहायक	
22	सुश्री प्रियंका शिवहरे	कराधान सहायक	
23	श्री अनिल यादव	कराधान सहायक	
24	श्री कृष्ण कुमार	कराधान सहायक	
25	श्री विरेन्द्र सिंह सोलंकी	कराधान सहायक	
26	श्री आकाश दीप शिवहरे	कराधान सहायक	
27	श्री प्रणय शंकर पंड्या	कराधान सहायक	
28	श्री अनिल जेठवानी	कराधान सहायक	
29	श्री अवनिन्द्र भदौरिया	कराधान सहायक	
30	सुश्री शमशाद बानो	कराधान सहायक	
31	श्री तरूण जैन	कराधान सहायक	
32	श्री विजय रघुवंशी	कराधान सहायक	
33	श्री उपेन्द्र वर्मा	कराधान सहायक	
34	श्री फरजान साहिल खान	कराधान सहायक	

राघवेन्द्र सिंह, आयुक्त.

कार्यालय, कलेक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय निर्वाचन, बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 17 अगस्त 2016

क्र. 311-मण्डी निर्वाचन-2016.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भरत यादव, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), कृषि उपज मण्डी समिति, वारासिवनी के लिये एतद्वारा निम्नलिखित प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ:—

क्रमांक	मण्डी समिति का नाम	नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता	प्रतिनिधि	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	वारासिवनी	श्री लक्की रामचंदानी, वार्ड नं. 5, वारासिवनी, जिला बालाघाट.	विधायक, वारासिवनी	नियम 2010 का नियम 4

भरत यादव, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2016

संशोधन

क्र. एफ-25-5-2016-दस-3.—इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 मार्च, 2016 के हिन्दी संस्करण में निम्नानुसार संशोधन कर पढ़ा जाये :—

(i) अनुसूची में अंकित

तहसील—“मेहगांव” के स्थान पर “कराहल” पढ़ा जाये.

संशोधन

क्र. एफ-25-5-2016-दस-3.—इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 मार्च, 2016 के अंग्रेजी संस्करण में निम्नानुसार संशोधन कर पढ़ा जाये :—

(i) “Schedule” में अंकित

“District” “Bhind” के स्थान पर “Sheopur”
Tehsil-“Menhgaon” के स्थान पर “Karahal”
Forest Divison-“Bhind” के स्थान पर “Sheopur”
Forest Range-“Bhind” के स्थान पर “Karahal” पढ़ा जाये.

(ii) (A) Reason for publication of Notification की कंडिका-1 में 8वीं, 9वीं एवं 10वीं पंक्ति में अंकित

“the above Department by order No. 06/09-10/A-19 (3) dated 17-02-2010 of Collector Distt. Sheopur for the pupose of compensatory afforestation.”

के स्थान पर

“the above mentioned Non Forest Land of 3.703 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt. Forest Department by order No. 06/09-10/A-19 (3) dated 17-02-2010 of Collector Distt. Sheopur for the pupose of compensatory afforestation.” पढ़ा जाये.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

संशोधन

क्र. एफ-25-11-2016-दस-3.—इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के अंग्रेजी संस्करण में निम्नानुसार संशोधन कर पढ़ा जाये :—

(i) “Schedule” के कॉलम-3 में Name of Village में अंकित

“Kushi” के स्थान पर “Kuhia”
पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-61-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड, N 23° 39' 54.122" से N 23° 40' 1.261" उत्तर अक्षांश व E 77° 18'45.387" से E 77° 18'56.701" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—भोपाल, तहसील—बैरसिया, वनमंडल—भोपाल, वन परिक्षेत्र—बैरसिया

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखंड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रीछई भाग "बी"	ग्राम बम्होरा	गैर-वनभूमि (निजी स्वामित्व).	144/2/2/ख 144/2/2/ख/1	1.360 1.840	उत्तर—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से RF 110 के मुनारा क्रमांक 02 तक की संयुक्त वन सीमा. दक्षिण—RF 110 के मुनारा क्रमांक 02 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग . .					3.200	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPB 069/2006-BHO/1134 दिनांक 27-6-2006 एवं 6-MPB 186/2007-BHO/2499 दिनांक 13-10-2008 की मेसर्स शारदा देवी चेरिटीबल ट्रस्ट एवं श्री आर. सी. अग्रवाल चेरिटीबल ट्रस्ट को क्रमशः 1.360 हे. एवं 1.840 हे. में प्रभावित वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 3.200 हेक्टेयर गैर-वनभूमि (निजी स्वामित्व) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से उपयोगकर्ता के खर्च पर उपरोक्त वर्णित गैर-वनभूमि मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर निरंक अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार.—उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकारी नहीं है.
- सामुदायिक अधिकार.—उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-61-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-61-2016-दस-3, दिनांक 5 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 5th August 2016

No. F-25-61-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies in between N 23° 39' 54.122" to N 23° 40' 1.261" North Latitude and E 77° 18'45.387" to E 77° 18'56.701" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Bhopal, Tehsil-Berasia, Forest Division-Bhopal, Forest Range—Berasia

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Proposed Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Richhai "B"	Bamhora	Non Forest Land (Private Land)	144/2/2/ख 144/2/2/ख/1	1.360 1.840	North —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 03 of Proposed Protected Forest Block. East —Joint Forest Boundary from Pillar No. 03 of Proposed Protected Forest Block to Pillar No. 02. of RF 110. South —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 02 of RF 110 to Pillar No. 06 of Proposed Protected Forest Block. West —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 06 to 01 Proposed Protected Forest Block.
Total					3.200	

(A) Reason for publication of Notification.—

1. In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6-MPB 069/2006-BHO/1134 dated 27-06-2006 and order No. 6-MPB 186/2007-BHO/2499 dated 13-10-2008 to Mesars Sharda Devi Charitable Trust and Shri R. C. Agarwal Charitable Trust in lieu of 1.360 hec. and 1.840 hectare of affected forest land under the sanctioned project of the above mentioned Non Forest Land of 3.200 hectare (Private Land) transferred or muted in favor of M. P. Govt. Forest Department (DFO, Bhopal) for the purpose of compensatory a forestation is to be declared as protected forest.
2. Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per under :—

1. **Individuals Rights**—There are no individual rights on the said land.
2. **Communities Rights**—There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-63-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N 23° 7' 17.473'' से N 23° 7' 24.154'' उत्तर अक्षांश व E 77° 19' 29.098'' से E 77° 19' 48.814'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—भोपाल, तहसील—हुजूर, वनमंडल—भोपाल, वन परिक्षेत्र—समर्था

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखंड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	भानपुर 'सी'	ग्राम समसगढ़	गैर-वनभूमि (निजी स्वामित्व).	244/1 312 313/1 313/2 314	0.16 0.56 1.29 0.11 1.89	उत्तर—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 18 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से RF 211 के मुनारा क्रमांक 17 तक तथा प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 17 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 18 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	4.01	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPB 049/2004-BHO/431 दिनांक 4-3-2005 एवं 6-MPB 050/2004-BHO/430 दिनांक 4-3-2005 की शारदा देवी चेरिटीबल ट्रस्ट एवं कस्तूरी देवी टेरिटीबल ट्रस्ट को क्रमशः 2.00 हे. एवं 2.00 हे. में प्रभावित वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.01 हेक्टेयर गैर-वनभूमि (निजी स्वामित्व) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से उपयोगकर्ता के खर्च पर उपरोक्त वर्णित गैर-वनभूमि मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर निरंक अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

1. व्यक्तिगत अधिकार.—उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकारी नहीं है.
2. सामुदायिक अधिकार.—उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-63-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-63-2016-दस-3, दिनांक 5 अगस्त, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 5th August 2016

No. F-25-63-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies in between N 23° 7' 17.473'' to N 23° 7' 24.154'' North Latitude

and E 77° 19'29.098" to E 77° 19'48.814" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Bhopal, Tehsil-Huzur, Forest Division-Bhopal, Forest Range—Samardha

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Proposed Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area in (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bhanpur 'C'	Gram Samasgarh	Non Forest Land (Private Land)	244/1 312 313/1 313/2 314	0.16 0.56 1.29 0.11 1.89	<p>North—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 18 to 13 of Proposed Forest Block.</p> <p>East—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 13 to 08 of Proposed Forest Block.</p> <p>South—Pillar No. 08 of Proposed Forest Block to Pillar No. 17 of RF 211 and Artificial Forest Boundary from Pillar No. 17 to 01 of Proposed Forest Block.</p> <p>West—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 18 of Proposed Forest Block.</p>
Total					4.01	

(A) Reason for publication of Notification.—

1. In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6-MPB 049/2004-BHO/431 dated 4-3-2005 and order No. 6-MPB 050/2004-BHO/430 dated 4-3-2005 to Sharda Devi Charitable Trust and Kasturi Devi Charitable Trust in lieu of 2.00 hectare and 2.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of the above mentioned Non Forest Land of 4.01 hectare (Private Land) transferred or muted in favor of M. P. Govt. Forest Department (DFO, Bhopal) for the purpose of compensatory a forestation is to be declared as protected forest.
2. Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land are as under :—

1. **Individuals Rights**—There on are no individual rights on the said land.
2. **Communities Rights**—There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-64-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड, N 23° 22' 21.4'' से N 23° 22' 33.6'' उत्तर अक्षांश तथा E 74° 48' 47.6'' से E 74° 49' 09.3'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—रतलाम, तहसील—सैलाना, वनमंडल—रतलाम, वन परिक्षेत्र—शिवगढ़

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखंड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	माही भाग-2	पाटड़ी	राजस्व वन	42/1 42/3/1	7.920 2.010	उत्तर—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग . . .					9.930	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक दिनांक में अधिरोपित शर्त के अनुसार उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर पश्चिम रेलवे, रतलाम की स्वीकृत परियोजना रतलाम डुंगरपुर व्हाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन में प्रभावित 36.110 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 9.930 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 9.930 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला, रतलाम के आदेश क्रमांक 1172/री-2015 दिनांक 10-4-2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, जावरा जिला रतलाम के प्रतिवेदन क्रमांक . . दिनांक 3-2-2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

- व्यक्तिगत अधिकार.—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकारी नहीं है.
- सामुदायिक अधिकार.—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकारी नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-64-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-64-2016-दस-3, दिनांक 5 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 5th August 2016

No. F-25-64-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 23° 22' 21.4" to N 23° 22' 33.6" North Latitude and E 74° 48' 47.6" to E 74° 49' 09.3" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Ratlam, Tehsil-Sailana, Forest Division-Ratlam, Forest Range—Shivgarh

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
(1)	Name of Proposed Forest Block (2)	Name of Village (3)	Present head of Land (4)	Khasra No. (5)	Area in (Hectare) (6)	(7)
1	Mahi part-2	Patadi	Revenue Forest	42/1 42/3/1	7.920 2.010	North —Proposed Artificial Forest boundary From Pillar No. 05 to 02. East —Proposed Artificial Forest boundary From Pillar No. 02 to 01. South —Proposed Artificial Forest boundary From Pillar No. 01 to 08. West —Proposed Artificial Forest boundary From Pillar No. 08 to 05.
				Total	9.930	

(A) Reason for publication of Notification.—

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. dated and in lieu of 36.110 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Ratlam Dungarpur Via Banswada New Railway Line of Deputy Chief Engineer (Construction) North Western Railway, Ratlam the above mentioned Non Forest Land of 9.930 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt., Forest Department by order No. 1172/RI-2015 dated 10-04-2015 of Collector, Dist. Ratlam for the purpose of compensatory afforestation.
- Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No.-dated 3-2-2016 of Tahsildar, Jaora, District Ratlam are as under.

- Individuals Rights**—The Land is not individual Rights.
- Communities Rights**—The Land is not Communities Rights.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-65-2016-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N 23° 50' 43.1'' से N 23° 50' 24.0'' उत्तर अक्षांश तथा E 75° 17' 45.2'' से E 75° 18' 03.1'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—रतलाम, तहसील—जावरा, वनमंडल—रतलाम, वन परिक्षेत्र—सैलाना

अ. क्र.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बोरवनी	बोरवनी	बरड़ी (लैंड बैंक)	272/1	34.430	उत्तर—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 16 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 16 से 28 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 28 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग . .					34.430	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPC0 24/2010-BHO/274, दिनांक 10-2-2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार अधीक्षण यंत्रि अति उच्चदाब निर्माण, म.प्र.ट्रा.क.लि., इन्दौर की स्वीकृत परियोजना 400 के.व्ही. विद्युत् परेषण लाईन (मालवा टी.पी.एच.) में प्रभावित 26.700 हेक्टेयर एवं अन्य परियोजनाओं में वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 34.430 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 34.430 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला रतलाम के आदेश क्रमांक 143/भू-अ/व.सी./10, दिनांक 11-2-2010 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार जावरा, जिला रतलाम के प्रतिवेदन क्रमांक . . दिनांक 4-2-2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

- व्यक्तिगत अधिकार.—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
- सामुदायिक अधिकार.—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-65-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-65-2016-दस-3, दिनांक 5 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 5th August 2016

No. F-25-65-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 24° 50' 43.1" to N 23° 50' 24.0" North Latitude and E 75° 17' 45.2', to E 75° 18' 03.1" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Ratlam, Tehsil-Joroa, Forest Division-Ratlam, Forest Range—Sailana

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Detail of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area in (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Borwani	Borwani	Bardi (Land Bank)	272/1	34.430	<p>North—Proposed Artificial Forest boundary From Pillar No. 01 to 14.</p> <p>East—Proposed Artificial Forest boundary From Pillar No. 14 to 16.</p> <p>South—Proposed Artificial Forest boundary From Pillar No. 16 to 28.</p> <p>West—Proposed Artificial Forest boundary From Pillar No. 28 to 01.</p>
Total					34.430	

(A) Reason for publication of Notification.—

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6-MPC0 24/2010-BHO/274 dated 10th February 2012 and in lieu of 26.700 hectare of affected forest land under the sanctioned project of 400 K.V. Electric Consignment (Malwa T.P.H.) Superintending Engineer Ultra High Pressure (Construction M. P. Tra. Com. LTD., Indore the above mentioned Non Forest Land of 34.430 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt. Forest Department by order No. 143/Land Doc./Forest Line/10 dated 11th February 2010 of Collector, Dist. Ratlam for the purpose of compensatory afforestation.
- Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. dated 4th February 2016 of Tahsildar, Jaora, District Ratlam are as under.

- Individuals Rights**—The Land is not individual Rights.
- Community Rights**—The Land is not Community Rights.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-66-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N 23° 34' 01.1'' से N 23° 34' 43.2'' उत्तर अक्षांश तथा E 75° 01' 45.1'' से E 75° 02' 15.2'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—रतलाम, तहसील—पिपलोदा, वनमंडल—रतलाम, वन परिक्षेत्र—सैलाना

अ. क्र.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	उपरवाड़ा	उपरवाड़ा	गैर वनभूमि (लैण्ड बैंक)	905/1/1	39.590	उत्तर—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 45 से 01 तक की कृत्रिम सीमा. पूर्व—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 26 तक की कृत्रिम सीमा. दक्षिण—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 26 से 31 तक की कृत्रिम सीमा. पश्चिम—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 31 से 45 तक की कृत्रिम सीमा.
योग . . .					39.590	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPCO 42/2006-BHO/3146, दिनांक 22-5-2007 में अधिरोपित शर्त के अनुसार सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, भोपाल की स्वीकृत परियोजना पलसोड़ी पवन ऊर्जा परियोजना में प्रभावित 39.590 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 39.590 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 39.590 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला रतलाम के आदेश क्रमांक 840/भू-अ/वन सी./2006, दिनांक 6-5-2006 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार पिपलोदा, जिला रतलाम के प्रतिवेदन क्रमांक . . दिनांक . . . द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

- व्यक्तिगत अधिकार.—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
- सामुदायिक अधिकार.—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-65-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-66-2016-दस-3, दिनांक 5 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 5th August 2016

No. F-25-66-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 23° 34' 01.1" to N 23° 34' 43.2" North Latitude and E 75° 01' 45.1 to E 75° 02' 15.2" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Ratlam, Tehsil-Piploda, Forest Division-Ratlam, Forest Range—Sailana

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Detail of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area in (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Uparwada	Uparwada	Non Foerst Land (Land Bank)	905/1/1	39.590	North —Proposed Artificial boundary From Pillar No. 45 to 01. East —Proposed Artificial boundary From Pillar No. 01 to 26. South —Proposed Artificial boundary From Pillar No. 26 to 31. West —Proposed Artificial boundary From Pillar No. 31 to 45.
Total					39.590	

(A) Reason for publication of Notification.—

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6-MPC0 42/2006-BHO/3146 dated 22nd May 2007 and lieu of 39.590 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Palsodi Wind Energy Scheme of Suzlon Energy Limited, Bhopal, the above mentioned Non Forest Land of 39.590 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt. Forest Department by order No. 840/Bhu.A./Van C./2006 dated 6th May 2006 of Collector, Dist. Ratlam for the purpose of compensatory afforestation.
- Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. dated of Tahsildar, Piploda, District Railam are as under.

- Individuals Rights**—The Land is not individual Rights.
- Community Rights**—The Land is not Community Rights.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 23 जुलाई 2016

पत्र क्र. 233-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची में खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्रधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	अकौरी	1.639	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 रीवा.	रजहा अकौरी मौहरिया मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 4.00 कि.मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 234-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची में खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्रधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	मौहरिया	1.283	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 रीवा.	रजहा अकौरी मौहरिया मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 4.00 कि.मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 9 अगस्त 2015

प. क्र. 7354-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. भोमा.	मगरकठा प.ह.नं. 42.	2.90	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन सिंगना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच परियोजना डी-4 माईनर नहर निर्माण.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 7356-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. भोमा.	मुआरी रैयत प.ह.नं. 42.	2.32	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन सिंगना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच परियोजना डी-4 माईनर नहर निर्माण.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 7358-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. भोमा.	सरगापुर प.ह.नं. 42.	4.62	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन सिंगना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच परियोजना डी-4 माईनर नहर निर्माण.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 7360-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. भोमा.	बलारपुर प.ह.नं. 41.	8.97	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन सिंगना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच परियोजना डी-4 माईनर नहर निर्माण.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 7362-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. भोमा.	देवरी प.ह.नं. 46.	2.43	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन सिंगना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच परियोजना डी-4 माईनर नहर निर्माण.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 7364-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. भोमा.	मेहलोण प.ह.नं. 45.	7.88	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन सिंगना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच परियोजना डी-4 माईनर नहर निर्माण.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 7366-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. भोमा.	बांद्रा प.ह.नं. 45.	7.73	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन सिंगना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच परियोजना डी-4 माईनर नहर निर्माण.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 7368-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. भोमा.	मुआरी माल प.ह.नं. 42.	1.42	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन सिंगना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच परियोजना डी-4 माईनर नहर निर्माण.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 7370-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. भोमा.	बजरवाड़ा प.ह.नं. 46.	6.27	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन सिंगना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच परियोजना डी-4 माईनर नहर निर्माण.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 7372-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. भोमा.	भाटीवाडा प.ह.नं. 42.	3.56	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन सिंगना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच परियोजना डी-4 माईनर नहर निर्माण.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 7374-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. भोमा.	जिवनारा प.ह.नं. 45.	1.62	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन सिंगना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच परियोजना डी-4 माईनर नहर निर्माण.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

सिवनी, दिनांक 12 अगस्त 2016

प. क्र. 7517-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बंडोल.	राहीवाडा प.ह.नं. 31.	0.187	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन सिंगना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच परियोजना डी-4 माईनर नहर निर्माण.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 7518-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बंडोल.	थांवरी प.ह.नं. 37.	2.68	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन सिंगना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच परियोजना डी-4 माईनर नहर निर्माण.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 7521-A-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बंडोल.	पटरा प.ह.नं. 29.	7.62	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन सिंगना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच परियोजना डी-4 माईनर नहर निर्माण.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 7555-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा रा.नि.म. धनौरा.	सुनवारा प.ह.नं. 34.	3.26	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी टट नहर संभाग, केवलारी.	नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 7556-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा रा.नि.म. धनौरा.	चरगवां प.ह.नं. 32.	0.35	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग, केवलारी.	नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्र. 2007-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कंजी पैपखार	2.750	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा, जिला-रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर की कंजी सब-माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2009-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-

अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	मोहरवा कोठार (482).	3.010	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा, जिला-रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर की भलुहा सब-माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2011-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	मऊ कोठार (429).	1.890	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा, जिला-रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर की मऊ सब-माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2013-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने

के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग हेतु लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	पुरैनी 378.	0.610	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा, जिला-रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर की कंजी सब-माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 2015-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	पुरैनी 379.	5.050	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा, जिला-रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर की पुरैनी सब-माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 2017-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा

(1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	रहट	2.810	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा, जिला-रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर की रहट सब-माइनर नं. 4 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 2019-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	अमवा	1.910	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा, जिला-रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर की अमवा सब-माइनर नं. 2 विस्तारीकरण में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पी. राही, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 16 अगस्त 2016

प्र. क्र. 11-अ-82-2015-16-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है.

चूंकि हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा उर्म जलाशय निर्माण कार्य हेतु ग्राम कोहली की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा (12) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	शहपुरा	उर्म प.ह.नं. 79	0.62	अनु. अधिकारी (राजस्व) सह भू-अर्जन अधिकारी, पाटन.	उर्म जलाशय निर्माण कार्य हेतु.

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी सह भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-2015-16-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है.

चूंकि हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा उर्म जलाशय निर्माण कार्य हेतु ग्राम कोहली की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा (12) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	शहपुरा	कोहली प.ह.नं. 63	2.28	अनु. अधिकारी (राजस्व) सह भू-अर्जन अधिकारी, पाटन.	उर्म जलाशय निर्माण कार्य हेतु.

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी सह भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेश चंद्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 2 अगस्त 2016

पत्र. क्र. 244-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि, ग्राम करही-72, राजस्व निरीक्षक मण्डल रीवा (गिर्द), तहसील हुजूर, रीवा जिले के बोदाबाग करहिया मण्डी मार्ग में बीहर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु, इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) नगर/ग्राम—करही-72
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.267 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
31/1	0.267
योग . .	<u>0.267</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— रीवा जिले के बोदाबाग करहिया मण्डी मार्ग से बीहर नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 12 अगस्त 2016

क्र. 7510-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा
(ग) ग्राम—बगहाई, प.ह.नं. 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.10 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
85/1	0.09
86/2	0.12
87/1K	0.02
87/3	0.06
88	0.14
53	0.25
55/2	0.12
57/2	0.14
59	0.15
86/1	0.02
86/3	0.11
87/1kh	0.05
87/1kh	0.07
17	0.13
55/1	0.12
57/1	0.09
57/3	0.12
60	0.30
योग . .	<u>2.10</u>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है।

क्र. 7511-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—केवलारी
(ग) ग्राम—बगलई, प.ह.नं. 49
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.35 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
347	0.01
350/1	0.06
361	0.05
363	0.03
349/1	0.15
360	0.02
362	0.03
योग . .	0.35

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7512-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा

- (ग) ग्राम—आमानाला, प.ह.नं. 32
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.17 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
425	0.03
423/2	0.06
424	0.08
योग . .	0.17

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7513-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा
(ग) ग्राम—रावठान, प.ह.नं. 30.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.34 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
35	0.36
37/1	0.12
81	0.04
93/2	0.08
90	0.03
98/2	0.14
101	0.13
103	0.04
102/2	0.15
106/1	0.04
107	0.04

(1)	(2)	(ग) ग्राम—घटेरी, प.ह.नं. 30.	(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.79 हेक्टेयर.
		खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
191	0.09		
297/6	0.06	115/2	0.06
297/7	0.07	216	0.18
296/3	0.09	215/2	0.10
295/2	0.11	214	0.21
295/4	0.09	210	0.15
291/1	0.01	126/3	0.18
36	0.03	131/2	0.06
37/2	0.03	132/1	0.06
91	0.20	135/2	0.09
93/1	0.06	178/1	0.05
92	0.13	179	0.03
98/3	0.06	41	0.08
100/2	0.11	124	0.03
102/1	0.18	115/3	0.33
102/4	0.06	218/1	0.08
106/3	0.02	215/4	0.23
200	0.14	211	0.08
192	0.09	126/1	0.22
297/4	0.06	131/1	0.06
296/4	0.12	131/3	0.04
295/1	0.10	132/3	0.05
295/3	0.12	71/1	0.13
290	0.14	178/2	0.04
कुल योग . .	3.34	181	0.04
		44	0.21
		कुल योग . .	2.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7514-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—सिवनी
 (ख) तहसील—धनौरा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7519-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः

भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—केवलारी
(ग) ग्राम—केवलारी, प.ह.नं. 41.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.03 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
616	0.03
कुल योग . . .	
	0.03

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7522-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा
(ग) ग्राम—रामखैरी, प.ह.नं. 28.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.03 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
83	0.03
कुल योग . . .	
	0.03

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7523-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा
(ग) ग्राम—देवरी मुल्ला, प.ह.नं. 40.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.39 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
59	0.48
64/1	0.15
62	0.06
61	0.04
33/3	0.19
35	0.06
65/1	0.05
65/2	0.04
89	0.03
85	0.20
34	0.09
कुल योग . . .	
	1.39

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7524-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा

(ग) ग्राम—कुडडो, प.ह.नं. 26.	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.25 हेक्टेयर.	19	0.18
खसरा नम्बर	22/1	0.18
		कुल योग . . . 1.87
(1)	(2)	
256/1	0.06	
259/2	0.15	
257	0.04	
कुल योग . . .	0.25	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7525-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा
(ग) ग्राम—धनौरा खुर्द, प.ह.नं. 24.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.87 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
159/8	0.04
166/3	0.06
166/	0.10
194	0.08
188	0.10
193	0.03
21/2	0.12
165	0.27
166/2	0.08
167	0.09
189	0.30
192/3	0.24

क्र. 7526-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा
(ग) ग्राम—पोरिया, प.ह.नं. 40.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.16 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
230/4	0.04
265/2	0.12
कुल योग . . .	0.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7527-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(ग) ग्राम—पल्ला, प.ह.नं. 24.		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.49 हेक्टेयर.		30	0.03
		46	0.38
		26/1	0.09
(1)	(2)	27	0.11
4	0.33	29	0.04
11/2	0.12	34	0.14
10/2	0.15		
24/1	0.04		
25/1	0.36		
19	0.13		
5	0.03		
11/1	0.08		
10/1	0.17		
9	0.08		
25/2	0		
			कुल योग . . 1.35
	कुल योग . . 1.49		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7531-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा
(ग) ग्राम—बाम्हनवाडा प.ह.नं. 39.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.56 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
94/1	0.12
94/3	0.11
95	0.35
101	0.16
111	0.50
154/1	0.34
146/2	0.04
123	0.01
94/2	0.12
94/4	0.01
100	0.25
108	0.18

क्र. 7530-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा
(ग) ग्राम—हरदुली, प.ह.नं. 41.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.35 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
49	0.13
45/1	0.12
26/2	0.12
28	0.19

(1)	(2)	(ग) ग्राम—सुकवाह, प.ह.नं. 40	
131	0.10	(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.82 हेक्टेयर.	
146/1	0.05	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा
135	0.22		(हेक्टेयर में)
	<u>कुल योग . . 2.56</u>	(1)	(2)
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.		10/1	0.42
		11/2	0.14
		15	.012
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.		60/3	0.15
		62	0.04
		11/1	0.14
		12/2	0.36
		14/1	0.15
		60/2	0.30
		<u>कुल योग . . 1.82</u>	
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.	
		(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.	
		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
		धनराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—धनौरा